**न्यायालय :— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अमरपाटन
जिला सतना म.प्र.**

(पीठासीन अधिकारी :— सुश्री शालिनी उईके)

रजिस्ट्रेशन क्रं.— आरसीएस—ए / 262 / 2022
संस्थित दिनांक—19.10.2022
फाईलिंग नंबर— आरसीएस—ए / 527 / 2022
सी.एन.आर. नंबर—एम.पी.1905—002267—2022

चन्दमौलि मिश्रा पिता स्व0 श्री महेश प्रसाद मिश्रा उम्र 64 वर्ष
निवासी करिया पतेर तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.................वादी

विरूद्ध

1. प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग बल्लभ भवन भोपाल म0प्र0
2. शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर / जिलाध्यक्ष सतना जिला सतना म0प्र0
3. विक्रम सिंह (संबिदाकार) प्रधानमंत्री सड़क ककरा से करिया पतेर निवासी नागौद तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

...............प्रतिवादीगण

वादी द्वारा :—	**श्री दिग्विजय प्रसाद त्रिपाठी अधिवक्ता ।**
प्रतिवादीगण :—	**पूर्व से एकपक्षीय।**

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 21.07.2026 को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर व 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर भूमि मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न ''अ''

में दर्शित अ, ब, स, द व इ भाग के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा वापसी एवं मुआवजा दिलाये जाने बावत् प्रस्तुत किया गया है।

2. वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0. 113 हेक्टेयर व आराजी नंबर 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर वादी के स्वत्व और कब्जे दखल की आराजी है तथा राजस्व अभिलेख में भी वादी का नाम दर्ज है। जिस पर वादी का पैतृक रूप से कब्जा दखल चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 द्वारा दिनांक 01.02.2022 की रात में वादी को सूचना दिये बिना जबरन वादी के चोरीचोरी अवैध रूप से वादी के कब्जे दखल व भूमिस्वामित्व की वादग्रस्त आराजियातों में सड़क का निर्माण करने लगे व मुरम, गिट्टी व बोल्डर डाल दिये तब वादी द्वारा उक्त अवैध सड़क निर्माण पर रोक लगाने हेतु प्रतिवादी क्रमांक 4 को लिखित आवेदन दिनांक 02.02.2022 को दिया गया किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 द्वारा अवैध निर्माण बंद नहीं किया गया व मुरम गिट्टी डालकर कृषि भूमि को नष्ट कर दिये। जिस कारण वादी अपने स्वामित्व और पट्टे की आराजी में कृषि नहीं कर पा रहा है जिससे वादी को 60,000 / — रूपये वार्षिक आय का नुकसान हो रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा कोई कार्यवाही प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध नहीं की गयी तब वादी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दण्डाधिकारी अमरपाटन के न्यायालय के 145, 146 जा.फौ. का आवेदन पेश कर प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध स्थगन की मांग की तब दिनांक 04.02.2022 को अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन द्वारा स्थगन जारी करते हुये प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वादग्रस्त आराजियातों में किये जा रहे अवैध सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गयी।

3. वादपत्र आगे इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2022 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी अमरपाटन द्वारा वादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवशर दिये बिना प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के दबाव व प्रभाव में आकर वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया तब दिनांक 02.09.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा वादी के स्वत्व और पट्टे की वादग्रस्त आराजी में जबरन सड़क निर्माण करा लेने की धमकी दी

गयी। वादपत्र के विचारण के दौरान ही दिनांक 28.06.2025 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी में पक्की सड़क का निर्माण कर लिया गया है। इस कारण पक्की सड़क को हटाकर रिक्त आधिपत्य वादी को दिलाया जाये।

4. वादपत्र आगे इस प्रकार है कि वादी के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता की नोटिस दिनांक 03.09.2022 अमरपाटन डाक विभाग का कंप्यूटर खराब होने से दिनांक 13.10.2022 को सतना से प्रेषित की गयी। किन्तु अनावेदक क्रमांक 3 लगातार वादी के स्वत्व की वादग्रस्त आराजी में जबरन पक्की सड़क निर्माण करने की धमकी दे रहे है इस कारण वादी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के पूर्व उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में वादकारण दिनांक 01.02.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वत्व व कब्जे दखल की वादग्रस्त आराजियातों में वादी को सूचना दिये बिना जबरन सड़क का निर्माण करने लगे व दिनांक 02.09.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा वादी के स्वत्व और पट्टे की वादग्रस्त आराजी में जबरन सड़क निर्माण करने की धमकी दी गयी तब वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह वाद संस्थित किया गया।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 3 पूर्व से एकपक्षीय।

6. प्रकरण में वादीगण के अभिवचन व दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न की विरचना की गई है जिन पर साक्ष्य की विवेचना एवं मूल्याकंन के पश्चात् सकारण उनके सम्मुख अकिंत किये जा रहे है :–

क्रं.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर व 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर भूमि मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न ''अ'' में दर्शित अ, ब, स, द व इ भाग के संबंध	**''नासाबित''**

	में भूमि स्वामी घोषित किये जाने योग्य है ?	
02.	क्या वादी का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर स्थापित आधिपत्य है ?	**''नासाबित''**
03.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य वाले स्थान पर अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	**''नासाबित''**
04.	क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में निर्मित पक्की सड़क को हटाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ? **अथवा** क्या वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**''नासाबित''**
05.	अनुतोष एवं व्यय ?	**''निर्णय के अंतिम पैरा के अनुसार के अनुसार**

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 का सकारण निष्कर्ष एवं विवेचना :—</u>

(चूंकि दोनों प्रश्न एक दूसरे से संसक्त है इसलिये साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये दोनों प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।)

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 101 के अनुसार हस्तगत वाद को प्रमाणित का भार वादी पर है, अपने दायित्व का उन्मोचन करने हेतु वादी **चंद्रमौली मिश्रा ने स्वयं को वा.सा. 1** के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया, अपने दावे के अभिवचनों के समर्थन में अपने न्यायालयीन कथन के दौरान मुख्य परीक्षण में वा. सा. 1 ने व्यक्त किया है कि ग्राम धमना तहसील अमरपाटन जिला मैहर स्थित आराजी नंबर 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर तथा आराजी नंबर 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर

वादी की पैतृक आराजियातें है। उक्त वादग्रस्त आराजी का भूमि स्वामी खसरों में वादी ही दर्ज है। दिनांक 02 फरवरी 2022 को ठेकेदार विक्रम सिंह के द्वारा वादी को सूचना दिये बिना वादग्रस्त आराजियातों पर रातोरात मुरम व गिट्टी डालकर सड़क का निर्माण कर दिया गया। वादी को दूसरे दिन जानकारी होने पर वादी के द्वारा कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी को आवेदन दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब वादी ने धारा 145, 146 द.प्र.सं. का आवेदन एस.डी.एम. अमरपाटन को दिया जिसमें वादी को स्थगन मिला था। ठेकेदार विक्रम सिंह के द्वारा एस.डी.एम. से मिलीभगत कर स्थगन को निरस्त करा दिया गया तब वादी ने कलेक्टर को 80 सिविल प्रक्रिया संहिता की नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाई जिसका न कोई जवाब दिया गया और न कोई कार्यवाही की गयी।

8. वादी ने बताया है कि वह वादग्रस्त आराजियों में फसल बोकर 60,000 / — रूपये वार्षिक लाभ अर्जित करता था। जिसका दिनांक 01 फरवरी 2022 से नुकसान हो रहा है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित आराजी का खसरा वर्ष 2021—22 प्र.पी. 1, प्र.पी. 2, प्रमुख सचिव व कलेक्टर को भेजी गयी नोटिस दिनांक 15.08.2022 प्र.पी. 3, सजरा खानदान ग्राम पंचायत मझगवां द्वारा जारी प्र.पी. 4, जमाबंदी खतौनी वर्ष 1958—59 प्र.पी. 5, वादग्रस्त आराजी का खसरा वर्ष 1963—64 लगायत वर्ष 2025—26 प्र.पी. 6 लगायत प्र.पी. 42, थाना प्रभारी अमरपाटन को दी गयी शिकायत प्र.पी. 43, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 001 / अन्य / अपराधिक / 2022 की आदेश पत्रिका प्र.पी. 24 स्थगन आदेश प्र.पी. 45, नामांतरण पंजी वर्ष 1989—90 प्र.पी. 46 प्रस्तुत किये है।

9. **वा.सा. 2 जगदीश केवट** ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह वादी और प्रतिवादीगण को जानता है। वादग्रस्त आराजी का नंबर 579, 580 है। जिसके बगल में उक्त साक्षी की जमीन है। विवादित आराजी चंद्रमौलि मिश्रा के भूमिस्वामित्व की आराजी है जिसे चंद्रमौली उक्त साक्षी को अधिया में दिये रहते थे। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण जबरन सड़क बनवा दिये है और वादी को कोई मुआवजा की राशि नहीं दिये है और न ही जमीन अधिग्रहण किये है और जबरजस्ती

मुरम गिट्टी डालकर 4–5 साल पहले सड़क निर्माण कर दिये है। विवादित आराजी में चंद्रमौली खेती करते थे जिससे वह लगभग 60,000/– रूपये की वार्षिक आय अर्जित करते थे।

10. प्रकरण के निराकरण बावत् न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर व 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर भूमि मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न ''अ'' में दर्शित अ, ब, स, द व इ भाग का भूमि स्वामी घोषित किये जाने योग्य है तथा यह भी अवलोकनीय है कि क्या वादी वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थायी व्यादेश, रिक्त आधिपत्य तथा वैकल्पिक रूप में उचित मुआवजे की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही। इस संबंध में प्रकरण के अंतर्गत वादी का पक्ष रहा है कि ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर व 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर स्थित भूमि वादी की पुस्तैनी आराजी है जिसमें वादी काबिज दाखिल होकर खेती कास्तकारी का कार्य करते हुये 60,000/– रूपये सलाना की वार्षिक आय प्राप्त करता था। इसी आशय के कथन वा.सा. 2 के द्वारा भी किये गये है जो वादी के स्वामित्व की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को अधिया ठास में लेकर खेती कास्तकारी का कार्य करता था। वादी का आरोप है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सहमति/अनुमति के बिना किसी कानूनी भूमि अधिग्रहण (Land Acquisetion) की प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त निजी भूमि पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वादी को सड़क निर्माण का कोई मुआवजा भी अदा नहीं किया गया है। मौखिक अभिवचनों के अतिरिक्त वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने स्वामित्व को प्रमाणित करने बावत् प्र.पी. 1 विवादित आराजी का खसरा वर्ष 2021–22 व प्र.पी. 2 प्रस्तुत किये है। जिनमें वादग्रस्त आराजी में बतौर भूमिस्वामी का नाम दर्ज है।

11. वादी के द्वारा अपने दावे के अंतर्गत वादग्रस्त आराजी को पुस्तैनी आराजी अभिकथित किया है इस संबंध में प्र.पी. 4 का सजरा खानदान एवं प्र.पी. 5 1958–59

की खतौनी तथा प्र.पी. 6 लगायत प्र.पी. 42 एवं नामांतरण पंजी 46 के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत यह पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वादी दस्तावेजों में अभिलिखित भूमिस्वामी/कब्जेदार के उत्तराधिकारी अथवा वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी को बतौर भूमिस्वामी प्राप्त करने के अधिकारी है। यद्यपि वादग्रस्त आराजी के खसरा वर्ष 2021–22 में वादी का नाम बतौर भूमिस्वामी दर्ज है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत Budhoo Vs Smt. Chironja Bai and 4 Ors.. High Court of Madhya Pradesh (India) 2010 (2) MPLJ 178 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व प्रविस्टियां एव रिकॉर्ड भूमि राजस्व अदा करने की देयता निश्चित करने की केवल राजकोषीय प्रयोजन के लिये है। भूमि के संबंध में पक्षकारो का हक केवल इसके आधार पर न्याय निर्णित नही किया जा सकता है।

12. इस प्रकार प्रकरण के अंतर्गत वादी ने अपने स्वामित्व के समर्थन में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। **विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 (Section 34 of specific relief act)** के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार घोषणात्मक डिक्री केवल उसी व्यक्ति के पक्ष में जारी की जा सकती है जो संपत्ति में अपना वर्तमान विधिक चरित्र (Legal caracter) अथवा अधिकार सिद्ध करे।

13. वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेखों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जीतेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021** में प्रतिपादित किया गया है कि, राजस्व अभिलेखों खसरा–खतौनी में नाम दर्ज होना केवल वित्तीय/लगान के उद्देयों के लिये होता है। उपरोक्त दस्तावेज स्वत्व/टाइटल (Title) का सृजन नहीं करता है क्योंकि वादी स्वयं को पंजीकृत भूमि स्वामी साबित करने में असफल रहा है अतः वादी के पक्ष में स्वामित्व की घोषणा नहीं की जा सकती है।

14. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अंतर्गत वादी के द्वारा अभिवचित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से वादी के भूमिस्वामित्व की वादग्रस्त आराजियात को कब्जा दखल करते हुये सड़क का निर्माण कर लिया गया है एवं

जबकि सड़क निर्माण के पूर्व वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर फसल बोकर सलाना 60,000/– रूपये की वार्षिक आय प्राप्त की जाती थी। किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा अवैधानिक रूप से सड़क निर्माण कर लेने के कारण वादी को प्रतिवर्ष 60,000/– रूपये की नुकसानी भी उठानी पड़ रही है। इसके संबंध में वादी के द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष धारा 145 एवं 146 जा.फौ. के अंतर्गत आवेदन पेश किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादी का प्रकरण निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में वादी के पास अन्य विकल्प भी मौजूद थे। राजस्व कानून के अनुसार निम्नतम या अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किये गये किसी आदेश से यदि कोई पक्षकार व्यथित होता है तो वह वरिष्ठ राजस्व अधिकारी के पास उक्त आदेश को आक्षेपित करते हुये अपील दायर कर सकता है।

15. प्रकरण के अंतर्गत वादी के द्वारा वादलंबन के दौरान आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के माध्यम से वादपत्र में संशोधन करते हुये अभिवचित किया गया है कि वादलंबन के दौरान प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी में सड़क का निर्माण कर लिया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा स्वयं यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में सड़क का निर्माण कारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी के पास मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प भी मौजूद है। क्योंकि वादी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वादी के स्वामित्व की है। ऐसी स्थिति में वादी के पास संबंधित राजस्व न्यायालय से वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प भी मौजूद है।

16. प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त आराजी की सीमा में सड़क निर्माण को सिद्ध करने के लिये स्वयं के मौखिक कथनों एवं अन्य साक्षी जो वादी की भूमि पर अधिया/बटाई पर खेती करता है को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी भूमि वादग्रस्त आराजी के बगल में है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की आराजी में जबरन सड़क निर्माण कर लिया गया है। इस संबंध में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 (Burden of proof)** के अंतर्गत यह पूर्णतः वादी का दायित्व था कि वह न्यायालय के समक्ष ठोस दस्तावेजी

और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर यह दर्शित करता कि निर्मित सड़क वास्तव में उसके स्वामित्व की आराजी की सीमाओं के भीतर बनीं है। अचल संपत्ति के विवादों में केवल मौखिक गवाही के आधार पर अतिक्रमण या निर्माण की सही भौगोलिक स्थिति और सटीक रकवा तय नहीं किया जा सकता है।

17. प्रकरण में वादी के द्वारा पूरे विचारण के दौरान **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9** किसी कमिश्नर या राजस्व सर्वेक्षक के माध्यम से मौके से वैज्ञानिक नाप या अधिकारिक सीमांकन प्रतिवेदन रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में यह न्यायालय केवल अनुमान या मौखिक बयान के आधार पर सड़क के वास्तविक अतिक्रमण को प्रमाणित नहीं मान सकता है।

18. यदि कोई व्यक्ति राजस्व न्यायालय अथवा स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे आदेश से व्यथित होता है तो वह संबंधित न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रकार लोकहित के अंतर्गत जो भी कार्य किये जाते है इसके संबंध में उपरोक्त प्रावधान के तहत स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। यदि वादग्रस्त भूमि से किसी रास्ते का उपयोग किया भी जाता है तो व्यथित व्यक्ति के पास संबंधित एजेंसी, स्थानीय प्राधिकरण अथवा राजस्व न्यायालय, शासन/प्रशासन के प्राधिकारी से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अनुतोष विद्यमान होता है।

19. न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने पक्ष में राजस्व अभिलेख (खतौनी) पेश की है किन्तु मौके पर निर्मित सड़क उसकी ही सीमा के भीतर है यह साबित करने के लिये कोई आधिकारिक सीमांकन रिपोर्ट (Demarkation report) या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा तैयार किया गया नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रकरण में वादी के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वादी के स्वामित्व की आराजी है। इस प्रकार वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि सड़क वादी के स्वामित्व की भूमि पर ही निर्मित की गयी है। ऐसी स्थिति में वादी का संपूर्ण दावा पूरी तरह से आधारहीन हो जाता है एवं वादी के पक्ष में मुआवजा राशि दिलाये जाने का प्रश्न भी आधारहीन हो जाता है।

20. इस प्रकार प्रकरण के अंतर्गत वादी न तो विवादित भूमि पर स्वयं का विधिक स्वत्व प्रमाणित कर सका है और न ही मौके पर सड़क के भौतिक अतिक्रमण का सटीक रकवा व स्थान सिद्ध कर पाया है, अतः निष्पादन (Execution) के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से एक अस्पष्ट दावे पर मुआवजे या पूरे आधिपत्य की डिक्री जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। ऐसी कोई भी अस्पष्ट डिक्री निष्पादन के स्तर पर अप्रभावी हो जायेगी। अतः वादी मुआवजे की सहायता पाने का भी अधिकारी नहीं है।

21. विधिक निर्वचन और न्यायशास्त्र के अनुसार व्यवहार वाद में वादी को अपना दावा अधिसंभावनाओं की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करना होता है न कि युक्तियुक्त संदेह से परे। व्यवहार वाद में साक्ष्यों का मूल्यांकन और साक्ष्यो की प्रमाणिकता के लिये दस्तावेजी साक्ष्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सारवान साक्ष्य माना जाता है तथा व्यवहार वाद में दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रायः मौखिक साक्ष्यों से अधिक बल देते हुये दस्तावेजी साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार वादी ने सर्वोत्तम साक्ष्यों के माध्यम से अपने प्रकरण को स्थापित किया है। अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी अभिसाक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे उपरोक्त दस्तावेज पर अविश्वास किया जाये। उपरोक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत वादप्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 का निष्कर्ष ''**नासाबित**'' के रूप में पाया जाता है।

अनुतोष एवं व्यय

वाद प्रश्न क्रमांक 5 का सकारण निष्कर्ष एवं विवेचना :–

22. उपरोक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत की गयी संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत वादी अपना दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। अतः वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। परिणामस्वरूप वादी का वाद **खारिज** कर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती

हैः–

(1) वादी का दावा ग्राम धमना पटवारी हल्का मझगवां तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 की आराजी क्रमांक 579 रकवा 0.113 हेक्टेयर व 580 रकवा 0.089 हेक्टेयर भूमि मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न ''अ'' में दर्शित अ, ब, स, द व इ भाग के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा वापसी एवं मुआवजा दिलाये जाने बावत् **खारिज** किया जाता है।

(2) उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेगें।

(3) अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर (दोनों मे जो भी कम हो) जोड़ा जाये।

23. तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

SHALINI UIEKAY

Digitally signed by SHALINI UIEKAY
DN: cn=SHALINI UIEKAY, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SATNA,CID - 6996502, o=District and Sessions Court Satna, st=Madhya Pradesh,
Date: 2026.07.21 17:55:35 +0530

(सुश्री शालिनी उइके)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

SHALINI UIEKAY

Digitally signed by SHALINI UIEKAY
DN: cn=SHALINI UIEKAY, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SATNA,CID - 6996502, o=District and Sessions Court Satna, st=Madhya Pradesh,
Date: 2026.07.21 17:55:39 +0530

(सुश्री शालिनी उइके)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.